

अध्याय 3

I 0; ogkjka ds ys[kk i jh{kk i ३k.k

v/; k; &III

3. I 0; ogkjk ds ys[kk i jh{kk i gk.k

इस अध्याय में राज्य की सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

I jdkjh dEi fu; k;

mRrj i n'sk jkt dh; fuekZk fuxe fyfeVM

3-1 bZ, I -vkbZl h- ds efMdy dkllyst dk fuekZk , oa I Ec) dkl; l

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन मई 1975 में राज्य सरकार के सिविल निर्माण कार्य को कराने एवं कार्यों को निविदा के माध्यम से प्राप्त करने तथा कार्यों को विभागीय कार्य पद्धति पर कराने के उद्देश्य से किया गया था ताकि निर्माण कार्यों से मध्यस्थों को हटाया जा सके।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कार्य को उप-ठेकेदारों के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2008)। कार्य की उप-ठेकेदार पद्धति के अंतर्गत, कम्पनी, ग्राहक से कार्य पर प्राप्य प्रभार शुल्क मात्र को रखने के पश्चात्, सम्पूर्ण कार्य को उप-ठेकेदार को उन्ही निबंधन एवं शर्तों पर उप-ठेके पर दे देती है जो कम्पनी पर लागू होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा 31 मेडिकल कॉलेजों¹ का निर्माण कार्य कम्पनी को आवंटित (अगस्त 2008 से मार्च 2012) किया गया जिसमें से कम्पनी द्वारा सात मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य विभागीय कार्य पद्धति पर तथा 24 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का कार्य उप-ठेकेदारों को उन्ही निबंधन एवं शर्तों पर दिया गया जैसा ई.एस.आई.सी. के साथ तय हुआ था (बैंक टू बैंक पद्धति) जिसका विवरण ifj'k"V 3-1 में दिया गया है।

ई.एस.आई.सी. के फरीदाबाद (हरियाणा), बसईदारापुर (दिल्ली) एवं अलवर (राजस्थान) में स्थित तीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों का चयन विस्तृत परीक्षण हेतु किया गया। इन तीन इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी कमियों की निम्नलिखित प्रस्तारों में चर्चा की गयी है:

yxr l pdkad dk xyr iz ksx

3-1-2 कम्पनी को जुलाई 2009 में ई.एस.आई.सी. से फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आदेश प्राप्त हुआ। ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद के निर्माण हेतु कम्पनी एवं उप-ठेकेदार के मध्य किये गये अनुबंध (अक्टूबर 2009) की विशेष शर्तों के उपवाक्य 13.8 के अनुसार, अनुबंधित मूल्य में मजदूरी, सामग्री एवं अन्य निविष्टियों की लागत में हुए बदलाव का समायोजन, आधार तिथि पर प्रचलित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केलोनिवि) द्वारा निर्गत लागत सूचकांक के आधार पर किया जाना था। निविदा आमन्त्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि को आधार तिथि के रूप में लिया जाना था। एनआईटी 16 जुलाई 2009 को निर्गत की गयी और 16 जुलाई 2009 को लागत सूचकांक 13 प्रतिशत था जैसा कि केलोनिवि द्वारा जून 2009 में अधिसूचित किया गया था।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा दिल्ली अनुसूची दर (डीएसआर) मदों के लिए 13 प्रतिशत मूल्य वृद्धि (अप्रैल 2009 से लागू), जो कि 16 जुलाई 2009 यथा कम्पनी द्वारा एनआईटी निर्गत करने की तिथि को प्रचलित लागत सूचकांक था, के स्थान पर 19 प्रतिशत (अक्टूबर 2008 से लागू) की मूल्य वृद्धि स्वीकृत की गयी। परिणामस्वरूप

dEi uh u: yxrr
l pdkad ds
xyr iz ksx ds
dkj .k
mi & Bcdnkj dks
₹ 11-84 djkm+
dk v f/kd
Hkqrku fd; k

¹ वर्ष 2008-2012 के दौरान 31 मेडिकल कॉलेजों एवं इनके सम्बद्ध भवनों के निर्माण के साथ-साथ उनके वर्तमान अस्पतालों के रख रखाव एवं नवीकरण की प्राक्कलित लागत ₹ 4456.47 करोड़ (पुनरीकित ₹ 4520.96 करोड़) थी।

विनियमन, कम्पनी द्वारा किया जाना था क्योंकि दोनों ही कार्यों का आवंटन एक ही ठेकेदार को उसी माह में निर्गत निविदा के सापेक्ष किया गया था।

feVWh dh <gkbl ij ifjgk; 70; ;

3-1-5 फरीदाबाद अस्पताल परियोजना की बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) में 4,03,611 घन मीटर (घन मी0) मिट्टी का कार्य सम्मिलित था। 3,39,570.70 घन मी0 खोदी गयी मिट्टी के विरुद्ध 71,468.04 घन मी0 मिट्टी का प्रयोग पुनः भराई में किया गया तथा शेष 2,58,205.91 घन मी0 मिट्टी का निस्तारण, ढुलाई पर ₹ 5.99 करोड़ का व्यय करके किया गया।

dEi uh }kjk
vfrfjDr feVWh
dh fc0h dh
l EHKkouk u
[kkst us ds
dkj.k <gkbl
ij ₹ 5-99
djkm+ dk
ifjgk; 70; ;
fd; k x; k

हमने देखा कि सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक ने नगर निगम, फरीदाबाद से (मार्च 2010) तथा ई.एस.आई.सी. से (अप्रैल 2010) मिट्टी के रखने हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु कहा लेकिन अतिरिक्त मिट्टी को बिक्री करके निस्तारित करने के सम्बन्ध में नहीं पूछा, जिससे की मिट्टी की ढुलाई से बचने के साथ-साथ अतिरिक्त मिट्टी का प्रभावी उपयोग भी किया जा सकता था।

इस प्रकार, अतिरिक्त मिट्टी को बेचने की सम्भावनायें न खोजने के कारण, कम्पनी को अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई पर ₹ 5.99 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2014) कि सम्बन्धित विभागों से दूरभाष के माध्यम से अतिरिक्त मिट्टी को लेने हेतु पूछा गया था परन्तु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथ्य शेष रहा कि कम्पनी ने अतिरिक्त मिट्टी के बिक्री की कोई सम्भावना नहीं खोजी क्योंकि यह अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कोई भी प्रपत्र उपलब्ध न करा सका।

ijth fuekzk grqC; kt ePr ekfscykbzt'sku vfxæ dk fuxr djuk

3-1-6 कम्पनी ने कार्य प्रारम्भ करने हेतु उप-ठेकेदार को कार्य कि लागत का 10 प्रतिशत मोबिलाईजेशन अग्रिम उप-ठेकेदार के चालू बिलों से समायोजित करने की शर्त पर उपलब्ध कराया।

dI vk ds
fn' kfunz kka ds
fo:)
mi & Bcdnkj dks
₹102-37 djkm+
dk C; kt ePr
ekfscykbzt'sku
vfxæ fn; k
x; kA

केंद्रीय सतर्कता आयोग (केसआ) के दिशा-निर्देश (10 अप्रैल 2007 तथा 8 अक्टूबर 1997) के अनुसार मोबिलाईजेशन अग्रिम का प्रावधान ब्याज युक्त होना चाहिये जिससे ठेकेदार उसका अनुचित लाभ न ले। केलोनिवि मैनुवल 2007 की धारा 32.5 के अनुसार, मोबिलाईजेशन अग्रिम 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर स्वीकृत किया जा सकता है। हमने देखा कि केसआ के दिशा-निर्देश के विरुद्ध, फरीदाबाद एवं अलवर परियोजना के लिए उप-ठेकेदार को ₹ 102.37 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाईजेशन अग्रिम फरवरी 2010 से फरवरी 2013 के दौरान अवमुक्त किया गया, जिससे उप-ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुँचा।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2014) कि मोबिलाईजेशन अग्रिम उप-ठेकेदार को बैंक गारण्टी के विरुद्ध दिया गया था। प्रबन्धन का उत्तर, ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करने संबंधी लेखा परीक्षा प्रेक्षण को संबोधित नहीं करता है।

mi & Bcdnkj
}kjk ijth
fuekzk grq
iz 0r ₹ 7-73
djkm+
ekfscykbzt'sku
vfxæ ij
₹ 1-03 djkm+
C; kt dh ol yh
u djuk

3-1-7 केसआ दिशा-निर्देश (8 अक्टूबर 1997) के अनुसार मोबिलाईजेशन अग्रिम का उपयोग पूँजी निर्माण हेतु नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज, अलवर के उप-ठेकेदार द्वारा उसे अवमुक्त कुल ₹ 51.94 करोड़ (दो सामान किस्तों में नवम्बर 2011 एवं फरवरी 2013 में) के मोबिलाईजेशन अग्रिम में से ₹ 7.73 करोड़ का उपयोग (अक्टूबर 2012) संयंत्र क्रय हेतु किया गया था। इस प्रकार, मोबिलाईजेशन अग्रिम का उपयोग पूँजी निर्माण हेतु किया जाना कोष का विपथन है एवं इसकी वसूली 10 प्रतिशत ब्याज सहित (केलोनिवि मैनुअल के अनुसार) की जानी चाहिये, जो नवम्बर 2011 से जून 2013 तक के लिए, ₹ 1.03 करोड़ आगणित की गयी है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2014) कि उप-ठेकेदार द्वारा ₹ 7.73 करोड़ का उपयोग रेडीमिक्स एवं प्लांटमिक्सर, जेसीबी, जनरेटर एवं प्रयोगशाला के उपकरण इत्यादि क्रय

प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं कराया जा सका तथा तदोपरांत मतभेद को विअबो में नहीं ले जाया गया, जिसके कारण कम्पनी को ₹ 27.09 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

उप-ठेकेदार को अनुचित लाभ तथा ग्राहक से प्रभार शुल्क प्राप्त करने में कम्पनी के शिथिल दृष्टिकोण की उपरोक्त घटनाओं से कम्पनी को क्रमशः ₹ 47.88 करोड़ तथा ₹ 5.88 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

शासन को जुलाई 2014 में प्रकरण प्रतिवेदित किया गया, शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

3-2 Bdnjka dks vufpr ykHk

Bdnjka dks vufpr ykHk nus ds ifj.kkeLo: lk ifjorZdk dh mPp njka ij [kjhn ea ₹ 17-51 djkm+dk ifjgk; 70; ; gqvk

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के कार्य मैनुअल के प्रस्तर 101 और 119 के अनुसार सामग्री की दरें बाजार दर विश्लेषण के आधार पर निर्णित की जानी चाहिये और अनुबंध के अनुसार मद की दरों की विश्लेषित दरों के साथ तुलना की जानी चाहिये।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने कम्पनी को 2009 से 2011 की अवधि में 220/132/33/11 केवी के 20 उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर प्रदान किया। आशय पत्र (एलओआई) की शर्तों में यह सम्मिलित था कि कार्य का विस्तृत प्राक्कलन बनाया जाना था और कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था, जिसकी वित्तीय स्वीकृति यूपीपीटीसीएल/यूपीपीसीएल खुली निविदा में पायी गयी न्यूनतम दरों के आधार पर प्रदान होनी थी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने बिल ऑफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) में शामिल परिवर्तकों की दरों को, बिना बाजार दरों के किसी विश्लेषण के, अन्तिम रूप दे दिया, कम्पनी के अभिलेखों में बीओक्यू मदों को दिये गये दरों के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया। यूपीपीटीसीएल/यूपीपीसीएल ने उन्हीं बीओक्यू दरों को अनुमोदित किया। कम्पनी ने अनुमोदित बीओक्यू दरों पर इन कार्यों को उप ठेकेदारों को प्रदान किया।

लेखा परीक्षा ने आगे देखा कि विद्युत उपकरणों की आपूर्ति के बीओक्यू में 160/40/20/5 एमवीए परिवर्तकों के एक्स-वर्क्स मूल्य हेतु कम्पनी द्वारा प्रदत्त दरें ₹ 0.44 करोड़ से ₹ 7.10 करोड़ के मध्य थी, जबकि आपूर्तिकर्ता जिन्होंने इन परिवर्तकों को कम्पनी के लिए कार्य करने वाले उप ठेकेदारों को उपलब्ध कराया, के प्रोफार्मा चालानों से यह पाया गया कि परिवर्तकों का मूल्य मात्र ₹ 0.18 करोड़ से ₹ 5.38 करोड़ के मध्य ही था ½ f'f'k"V 3-4½। बाजार दर विश्लेषण के अभाव में कार्य प्रदान करने से पहले कम्पनी परिवर्तकों की ऊँची दरों की जांच करने में असफल रही। परिणामतः बीओक्यू दरें और उप ठेकेदारों को प्रदान तथा भुगतान की गयी दरें, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवर्तकों के एक्स-वर्क्स मूल्य की तुलना में 7 से 55 प्रतिशत अधिक रहीं, जिसके परिणामस्वरूप 30 परिवर्तकों के क्रय पर ₹ 17.51 करोड़ का परिहार्य व्यय (ठेकेदार को 10 प्रतिशत लाभ देने के पश्चात) हुआ ½ f'f'k"V 3-4½।

प्रबन्धन ने बताया की परिवर्तकों का क्रय यूपीपीटीसीएल/यूपीपीसीएल द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया और उप-ठेकेदारों को दी गयी परिवर्तकों की दरें यूपीपीटीसीएल/यूपीपीसीएल द्वारा स्वीकृति लागत के अन्दर थीं। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने बीओक्यू में प्रदान की गयी परिवर्तकों के दरों की उपयुक्तता बाजार मूल्य विश्लेषण द्वारा सुनिश्चित नहीं की जैसा कि उसके कार्य मैनुअल के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था। परिणामस्वरूप कम्पनी के द्वारा उप-ठेकेदारों को भुगतान किया गया मूल्य, उन्हीं परिवर्तकों के लिए उप-ठेकेदारों के

द्वारा वहन किए गए खरीद मूल्य की तुलना में ₹ 17.51 करोड़ (25 प्रतिशत) अधिक था।

प्रकरण शासन को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

3-3 deþkjH Hkfo"; fuf/k eã vf/kd vdknku

deþkjH Hkfo"; fuf/k ds fy; s fu; kDRkk vdknku deþkjH Hkfo"; fuf/k ;kstuk 1952 ds vuq kj l hfer djus dh foQyrk ds ifj.kkeLo: lk ₹ 21-93 djkm+dk vf/kd vdknku gmk

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (योजना) के प्रस्तर 29(1) में प्रावधान है कि योजना के तहत एक नियोक्ता द्वारा देय अंशदान प्रत्येक कर्मचारी जिसके ऊपर योजना लागू हो, को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) का बारह प्रतिशत होगा। योजना के प्रस्तर 26 अ (2) में प्रावधान है कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा देय अंशदान ₹ 6500 के मासिक वेतन पर देय राशि तक सीमित किया जाएगा। हालाँकि, योजना के प्रस्तर 29 (2) में प्रावधान है कि कर्मचारी, जिसके ऊपर योजना लागू है, द्वारा देय अंशदान की राशि, यदि उसकी इच्छा हो, तो इस शर्त पर उपरोक्त सीमा से अधिक हो सकती है कि नियोक्ता इस योजना के तहत देय उनके योगदान से अधिक अंशदान का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तदनुसार, इस योजना के अन्दर आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपना अंशदान निर्धारित सीमा तक प्रतिबंधित करना आवश्यक था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने नियोक्ता अंशदान बारह प्रतिशत की दर से, योजना के उक्त प्रावधानों में दी गयी ₹ 6500 की निर्धारित सीमा को न मानते हुए किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा, 13,562 कर्मचारियों का 3-5½ के संबंध में, जो कि निधि के सदस्य थे और 2007-08 से 2013-14 के मध्य ₹ 6500 से अधिक मासिक वेतन आहरित कर रहे थे, ₹ 21.93 करोड़ का अधिक अंशदान किया गया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2014) कि अंशदान का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है तथा ₹ 6500 की अधिकतम मजदूरी पर अंशदान सीमित करने की शर्त में, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी), बरेली³ द्वारा छूट (जुलाई 2010) प्रदान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित योजना के प्रस्तर 26(6) और 26(अ)(2), नियोक्ता को प्रस्तर 29 में निश्चित की गयी सीमा से अधिक अंशदान करने के लिये शक्ति नहीं प्रदान करते हैं। अथापि, छूट की अनुमति कर्मचारी के योगदान के लिए थी, न कि नियोक्ता के अंशदान के लिए। अतः कम्पनी ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का उल्लंघन करते हुए अधिक नियोक्ता अंशदान किया।

कम्पनी को भविष्य में अधिक भुगतान को रोकने के लिए इस परिपाटी की समीक्षा करने की और इस तरह की कमी को दूर करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014); उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)

³ एपीएफसी, बरेली क्षेत्र ने कम्पनी को कर्मचारियों से प्रत्येक माह ₹ 6500 से अधिक के वेतन पर अंशदान काटने की अनुमति प्रदान की। इसको पूरी कम्पनी पर लागू किया गया।

nf{k.k.kkpy fo | r forj .k fuxe fyfeVM

3-4 fo | r forj .k e.My] >k| h }kjk l kexh dh vf/ki kflr

vuko' ; d , oa fcuk fufonk i i =ka dh fcØh ds l kefxz; ka dh vf/ki kflr

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) के विभाजन के फलस्वरूप, अगस्त 2003 में दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण के साथ सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए निगमित किया गया। कम्पनी सामग्री अधिप्राप्ति की गतिविधि को दो श्रेणियों, अर्थात् केन्द्रीयकृत सामग्री (कम्पनी मुख्यालय पर क्रय की गयी सामग्री) और विद्युत वितरण खण्डों (ईडीडी) की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रय की गयी विकेन्द्रीकृत सामग्री यथा एलटी वितरण/डिस्ट्रीब्यूशन बक्से, वैक्यूम इन्ट्रूटर आदि, में वर्गीकृत करती है।

अधिप्राप्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण मण्डल (ईडीसी), झाँसी ने आधारभूत अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया। नियंत्रक रजिस्टर्स के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा आमंत्रित/अंतिम रूप दे दी गयी निविदाएँ एवं निर्गत किये गये क्रय आदेशों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नहीं किया जा सकी। परिणामतः, लेखापरीक्षा ने विद्युत भण्डार खण्ड (ईएसडी), झाँसी के अभिलेखों का विश्लेषण किया और देखा कि सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए जनवरी 2011 से मई 2013 के बीच ईडीसी, झाँसी द्वारा ₹ 112.25 करोड़ मूल्य के निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया। उपरोक्त में से, ₹ 100.37 करोड़ (89 प्रतिशत) मूल्य के निविदाओं के अभिलेखों की चोरी सूचित की गयी। देखी गयी अनियमितताएँ आगामी प्रस्तारों में वर्णित है।

fufonk i fØ; k ea vfu; ferrk; j

3-4-1 अधीक्षण अभियन्ता (एसई), ईडीसी, झाँसी द्वारा सामग्री क्रय से सम्बन्धित ₹ 11.88 करोड़ मूल्य की 127 फाइलों के परीक्षण से पता चला कि सभी मामलों में सम्बन्धित स्टोर खण्ड में सामग्री की उपलब्धता एवं ₹ 11.76 करोड़ मूल्य के, 125 मामलों में उपयोगकर्ता खण्ड से सामग्री की आवश्यकता भी अभिलिखित नहीं थी। देखी गयी अनियमितताएँ नीचे वर्णित है:

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार, एसई, वितरण ₹ दो लाख मूल्य की सामग्री प्रति माह क्रय करने के लिए अधिकृत थे। सभी 127 मामलों में एसई, ईडीसी, झाँसी ने उपरोक्त सीमा का उल्लंघन किया एवं जनवरी 2011 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 10 लाख से ₹ 3.60 करोड़ प्रति माह ¼ f j f' k " V & 3-6½ के बीच के क्रय आदेश (पीओ) जारी किये।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2014) कि क्रय आदेश सक्षम समिति के अनुमोदन के बाद किये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत आदेश के अन्तर्गत किसी भी सक्षम समिति को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की अनुमति नहीं है।

- यूपीएसईबी के आदेश (अप्रैल 1970) के अनुसार, निविदा को स्वीकार करने से पूर्व निविदा करने वाले प्राधिकारी को यह देखने की आवश्यकता है कि कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्टेल तो गठित नहीं है।

हमने देखा की 127 निविदाओं में से ₹ 6.40 करोड़ (अर्थात् कुल मूल्य का 54.32 प्रतिशत) मूल्य की 70 निविदायें तीन फर्मों को अधिनिर्णीत की गई और प्रत्येक मामले में अन्य सहभागी निविदाकर्ता समान थे जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कार्टेल

का गठन किया गया था। कार्टेल के गठन होने का मुख्य कारण निविदाओं के आमंत्रण की अधिसूचना व्यापक प्रकाशन वाले समाचार पत्रों में न प्रकाशित होना तथा कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट पर निविदाओं का अपलोडिंग न होना था। जिसके परिणामस्वरूप, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2014) कि व्यापक प्रकाशन वाले समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन तथा आधिकारिक वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है।

l kexh dh vf/ki kflr

3-4-2 उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों तथा चोरी हुए अभिलेखों में, ईडीसी झाँसी द्वारा की गई अधिप्राप्ति की गतिविधियों (जनवरी 2011 से मई 2013) के अभिलिखित लेनदेन के लिए, ईएसडी, झाँसी पर उपलब्ध अभिलेखों के प्रति परीक्षण में निम्न त्रुटियाँ सामने आईं जो कि आगामी प्रस्तारों में वर्णित है:

- यूपीपीसीएल द्वारा फरवरी 2003 में निर्गत आदेश के अनुसार, ईडीसी द्वारा सामग्री का क्रय खुली निविदाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ईडीसी, झाँसी की रोकड़ बही ने प्रदर्शित किया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए क्रमशः निविदा संख्या 1 से 235, निविदा संख्या 1 से 894⁴ और निविदा संख्या 1 से 860 के लिए निविदा प्रपत्रों की बिक्री की गयी थी।

हमने देखा कि 55 मामलों में ₹ 5.49 करोड़ मूल्य (₹ 112.25 करोड़ की कुल अधिप्राप्ति के विरुद्ध) के क्रय आदेश बिना निविदा प्रपत्रों की बिक्री के निर्गत किये गये थे ¼ f j f ' k " V & 3 - 7 ½। क्रय आदेश में निविदा संख्या का उल्लेख सिर्फ निविदाओं की वैधता को दर्शाने के लिए किया गया था, जबकि वास्तव में रोकड़ बही के अनुसार ऐसे निविदा प्रपत्रों की बिक्री नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2014) कि सम्बन्धित अभिलेख खो गये हैं।

- यूपीएसईबी के दिनांक 07 अप्रैल 1977 के आदेश के अनुसार विकेन्द्रीकृत सामग्री की अधिप्राप्ति की मात्रा तीन महीने की आवश्यकता के बराबर होना चाहिए।

हमने देखा की एसई, ईडीसी, झाँसी ने सामग्री की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। मार्च 2013 तक क्रय किये गये ₹ 112.25 करोड़ की सामग्री में से ₹ 11.80 करोड़ मूल्य की प्रमुख वस्तुओं की भण्डार स्थिति का विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि इसके विरुद्ध मार्च 2014 ¼ f j f ' k " V & 3 - 8 ½ तक केवल ₹ 0.09 करोड़ (एक प्रतिशत) मूल्य की सामग्री का ही उपयोग किया जा सका।

प्रबन्धन ने कहा (जून 2014) एसई, ईडीसी, झाँसी ने सामग्री का क्रय इसके उचित अवधि में उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल एक प्रतिशत सामग्री का उपयोग हुआ था।

इस प्रकार ईडीसी, झाँसी ने निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक के क्रय आदेश निर्गत किये, व्यापक प्रचार के माध्यम के बिना निविदा आमंत्रित किये तथा यूपीपीसीएल एवं यूपीएसईबी के आदेशों के उल्लंघन में बिना आवश्यकता के सामग्री का क्रय किया।

प्रकरण शासन को जून 2014 में प्रतिवेदित किया गया, शासन का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

⁴ रोकड़ बही के अनुसार 2011-12 में निविदा संख्या 23, 24 एवं 358 से 364 निविदा प्रपत्र नहीं बिके।

; 0i h0 byDVkkuDI dki kj'sku fyfeVM

3-5 I lFkkxr 'kq'd dk de nkok , oa vki frdrkz dks vufr ykHk

I lFkkxr 'kq'd ds de nkos , oa vki frdrkz dks vufr ykHk ds dkj.k dEi uh dks ₹ , d djkm dh gkfu gpbz

यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि में "राज्य में बारहवीं कक्षा पास छात्र-छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना" के अन्तर्गत क्रय किये गये लैपटॉप के अतिरिक्त शासन के विभिन्न विभागों हेतु ₹ 105.74 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर्स एवं अन्य उपकरण (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) क्रय किये। संस्थागत शुल्क के कम दावे एवं आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देने के मामले आगामी प्रस्तारों में वर्णित हैं:

I lFkkxr 'kq'd dk de nkok

3-5-1 निदेशक मण्डल (बीओडी) के आदेशानुसार (मार्च 2003 एवं जून 2006) ग्राहक पर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आपूर्ति की परियोजना हेतु कुल लागत का चार से सात प्रतिशत संस्थागत शुल्क (आईसी) आरोपित करना था। इसके अतिरिक्त, बीओडी के आदेशानुसार (दिसम्बर 2005) प्रबन्ध निदेशक (एमडी) द्वारा दरों में कमी की जा सकती थी परन्तु बीओडी का कार्योत्तर अनुमोदन बीओडी की अगली बैठक में प्राप्त करना आवश्यक था।

हमने देखा कि कम्पनी ने आईसी परियोजनाओं के कुल मूल्य पर आरोपित करने के बजाय वैट/सेवा कर घटाकर प्राप्त लागत पर आरोपित किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 39.59 लाख आईसी कम आरोपित एवं वसूल हुआ।

हमने पुनश्च देखा कि कम्पनी ने आईसी की दर घटाकर अप्रैल 2009 से अप्रैल 2012 के दौरान ₹ 10.74 करोड़ की आपूर्तियों पर ₹ 18.75 लाख आईसी कम आरोपित किया जिसका बीओडी से उत्तरवर्ती अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

शासन ने तथ्य को मानते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि परियोजना की कुल लागत पर संस्थागत शुल्क आरोपित करने के परिणामस्वरूप शासन द्वारा कम्पनी को अतिरिक्त भुगतान होगा। तथ्य शेष रहा कि आईसी कम आरोपित हुआ और उस सीमा तक कम्पनी को राजस्व की हानि हुई। उन्होंने पुनश्च कहा (अक्टूबर 2014) कि एमडी को संस्थागत शुल्क तय/कम करने का अधिकार था। तथ्य शेष रहा कि एमडी ने बीओडी से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया।

vki frdrkz dks vufr ykHk

3-5-2 कम्पनी के वर्ष 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को निम्न प्रकरणों में अनुचित लाभ पहुँचाया:

(i) दस जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को आपूर्ति करने हेतु कम्पनी ने सहवर्ती उपकरणों सहित 373 डेस्कटॉप कम्प्यूटर के क्रय हेतु 11 नवम्बर 2011 को निविदा आमंत्रित की। आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित मूल्य ग्राहक विभाग की आवश्यकतानुसार समायोज्य था (29 नवम्बर 2011)। उपरोक्त निविदा के विरुद्ध कम्पनी ने दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012 के दौरान सहवर्ती उपकरणों सहित 373 डेस्कटॉप कम्प्यूटर की आपूर्ति हेतु भिन्न-भिन्न दरों पर दस आपूर्ति आदेश निर्गत किये।

हमने देखा कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्यों में समायोजन का अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी कम्पनी ने सम्पूर्ण आपूर्ति को उपलब्ध निम्नतम दर पर प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप, राजकोष को ₹ 26.60 लाख की हानि हुई।

शासन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि डॉलर के एक्सचेंज दरों में उतार चढ़ाव के कारण दरों में भिन्नता हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेश में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था।

(ii) उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत कम्पनी ने सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं अन्य सम्बन्धित उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना एवं रखरखाव हेतु आपूर्तिकर्ता पर ₹ 12.18 करोड़ के तीन आदेश निर्गत किये। आपूर्ति आदेश में आपूर्तिकर्ता को अग्रिम प्रदान करने की कोई शर्त शामिल नहीं थी।

कम्पनी ने अक्टूबर 2010 से जनवरी 2011 के मध्य ₹ 6.86 करोड़ का ब्याज रहित अग्रिम (आदेशित मूल्य का 56 प्रतिशत) प्रदान किया। ये अग्रिम 52 से 316 दिनों के समयकाल के उपरान्त समायोजित किए गये। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 15.13 लाख के ब्याज की हानि होने के साथ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला।

शासन ने इसे स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2014) कि आपूर्तिकर्ता को जिन परिस्थितियों में अग्रिम दिये गये उनकी जाँच कराने हेतु प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है (सितम्बर 2014)।

अतः आईसी के कम आरोपण एवं आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देने की वजह से कम्पनी को ₹ एक करोड़ की हानि हुई।

3-6 b&fufonk 'k'yd u vkjki r djuk

b&ik'ly ij b&fufonk i xk'ku grq b&fufonk 'k'yd dk u fy; k tkuk%
₹ 62 yk[k

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य में ई-क्रय प्रणाली लागू (जनवरी 2008) की तथा यू0 पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) को राज्य नोडल संस्था नामित किया। प्रणाली को लागू करने के लिए कम्पनी द्वारा महानिदेशक आपूर्ति एवं संवितरण (डीजीएस एण्ड डी) के ई-पोर्टल का प्रयोग किया जाना था। राज्य सरकार के विभागों (क्रय करने वाली संस्थाएँ) को ई-पोर्टल पर निविदा प्रकाशन करने हेतु ई-पोर्टल पर प्रकाशित निविदा मूल्य का 0.01 प्रतिशत कम्पनी को ई-निविदा शुल्क के रूप में भुगतान करना था, जो कि न्यूनतम ₹ 250 और अधिकतम ₹ 5,000 था।

हमने देखा कि कम्पनी ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के ई-पोर्टल के द्वारा ई-क्रय की सुविधा प्रदान की परन्तु जून 2008 से जनवरी 2014 के मध्य प्रयोगकर्ता विभाग के ₹ 15,499.96 करोड़ मूल्य के 4,342 निविदाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा मूल्य पर 0.01 प्रतिशत की दर से ई-निविदा शुल्क आरोपित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 62 लाख के आय की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबन्धन (जुलाई 2014) और शासन (सितम्बर 2014) ने कहा कि ई-निविदा शुल्क आरोपित नहीं की गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में ई-क्रय व्यवस्था को लागू करने के लिए डीजीएस एण्ड डी के पोर्टल का कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। वस्तुतः एनआईसी के पोर्टल का प्रयोग किया गया।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने एनआईसी के ई-पोर्टल के माध्यम से ई-क्रय की सुविधा प्रदान की। वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105)(जेडजेडजेडजेडजेड) के अनुसार ई-क्रय एक सूचना तकनीकी सॉफ्टवेयर सेवा है, अतः ई-निविदा शुल्क ई-क्रय सुविधा प्रदान करने हेतु लिया जाना था न कि किसी विशिष्ट पोर्टल को प्रदान करने हेतु। इस प्रकार सभी प्रयोगकर्ता विभागों से ई-निविदा शुल्क वसूल किया जाना था भले ही किसी भी ई-पोर्टल का प्रयोग किया गया हो।

mRrj ins'k l ekt dY; k.k fuekZk fuxe fyfeVM

3-7 l heW dh [kjh ij ifjgk; Z0; ;

dEi uh us nj vuqark dks dk; kflor u djus ds dkj .k l heW ds Ø; ij ₹
1-69 djkm+ dk ifjgk; Z0; ; fd; k

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 के नियम 141 एवं 147 के अनुसार, उन मदों के लिए दर अनुबंध किया जा सकता है जो मानक प्रकार के होते हैं, जिनकी पहचान आम प्रयोक्ता मदों के रूप में है तथा जिनकी आवश्यकता आवर्ती आधार पर होती है। पुनश्च, जीएफआर के नियम 137 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक क्रय में मितव्ययिता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही अधिप्रति प्राधिकारी की होती है।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी), अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों⁵ के साथ उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की शीर्ष निर्माण एजेंसियों में से एक है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मितव्ययिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु, महत्वपूर्ण इनपुट्स जैसे कि सीमेंट का क्रय अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी में दर अनुबंध के आधार पर सीमेंट क्रय हेतु कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि राज्य में कंपनी की सभी 83 इकाइयों, सीमेंट की खरीद इकाई स्तर पर क्रय समिति रिपोर्ट (पीसीआर) के आधार पर करती हैं।

लेखा परीक्षा ने देखा कि कार्य के निष्पादन में मितव्ययिता बनाए रखने के लिए दर अनुबंध द्वारा क्रय की स्पष्ट प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण, 2008-09 से 2012-13 की अवधि में कंपनी की सीमेंट क्रय की दरें, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) से तुलनीय सीमेंट क्रय की दरों से अधिक रहीं।

25 इकाइयों के नमूना जांच में यह पाया गया कि कम्पनी ने लोकल पूर्तिकर्ताओं से क्रय समिति रिपोर्ट के आधार पर पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट (पीपीसी) के 8,62,794 बैग की खरीद ₹ 180 प्रति बैग से ₹ 315 प्रति बैग के मध्य में की; जबकि उसी अवधि (2008-09 से 2012-13) के दौरान यूपीआरएनएन ने सीमेंट की खरीद अनुबंधित दरों पर ₹ 163 प्रति बैग से ₹ 290 प्रति बैग के मध्य में की। परिणामस्वरूप, अत्यंत महत्व की ऐसी सामग्री की खरीद के लिए दर अनुबंध ना करने की तंत्र की खामी के कारण पीपीसी सीमेंट के 8,62,794 बैग की खरीद पर ₹ 1.69 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन (अगस्त 2014) और शासन (सितम्बर 2014) ने बताया कि कम्पनी के पास बड़ी संख्या में इकाइयां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैली हुयी हैं और कम लागत की परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है। इस प्रकार, दर अनुबंध के तहत केंद्रीकृत स्थान पर क्रय करने पर परिवहन लागत बढ़ जायेगी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन के पास भी बड़ी संख्या में इकाइयां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुयी हैं परन्तु उनके पास दर अनुबंध बनाने की प्रणाली है। इसके अलावा, कंपनी ने प्रत्येक माह, पीपीसी सीमेंट बैग भारी मात्रा में, लगभग 1000 बैग से 4000 बैग के मध्य, खरीदे जो कि मितव्ययिता के पैमाने का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा है।

⁵ जीओयूपी की अन्य शीर्ष निर्माण एजेंसियां उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) यू पी जल निगम एवं यू पी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।

3-8 Ypkb th dks vf/kd Hkqrku

3-8 Ypkb th dks vf/kd Hkqrku

राज्य सरकार के दिनांक 28 मई 2006 के आदेशानुसार, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए संग्रहण आधारित ग्रामीण फ्रेंचाइजियों की नियुक्ति (जनवरी 2008 से मई 2011 के दौरान) की गयी। सम्बंधित फीडर क्षेत्रों में राजस्व की वसूली के लिए विभिन्न फ्रेंचाइजी फर्मों से अनुबन्ध किये गये और फ्रेंचाइजियों को संयोजन, विच्छेदन, बकायों का संग्रहण एवं चोरी के प्रकरण को पता लगाने का कार्य करने थे।

पुनश्च, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अधिसूचित (सितम्बर 2010, अक्टूबर 2010) किया कि फ्रेंचाइजियों द्वारा एकत्रित किये गये राजस्व पर कमीशन की संगणना, राजस्व निर्धारण के प्रत्येक स्लैब पर निर्धारित प्रतिशत के सापेक्ष मासिक वसूली के आधार पर की जायेगी। इसमें आगे प्रावधानित किया कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के लागू होने के दौरान, फ्रेंचाइजियों द्वारा संग्रहित राजस्व पर कमीशन की संगणना उनके द्वारा संग्रहित कुल राजस्व पर पाँच प्रतिशत की समान दर से की जायेगी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान, जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2012 से मई 2012 की अवधि में ओटीएस परिचालन में थी।

हमने देखा कि उपरोक्त ओटीएस अवधि में कम्पनी की विद्युत वितरण खण्ड, गोरखपुर में दस फ्रेंचाइजियों ने ₹ 5.66 करोड़ की राजस्व वसूली की। ओटीएस अवधि के दौरान निर्धारित पाँच प्रतिशत की दर को लागू करने के बजाय खण्ड ने स्लैब दर से ₹ 58.82 लाख कमीशन का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.54 लाख के कमीशन का अधिक भुगतान⁶ फ्रेंचाइजियों को किया गया।

प्रकरण प्रबंधन एवं शासन को (मई 2014) प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी प्रतीक्षित (जनवरी 2015) है।

3-9 Bcdnkj dks vufpr ykHk

3-9 Bcdnkj dks vufpr ykHk

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने वर्ष 2010-11 के दौरान आठ 33/11 केवी सब स्टेशनों तथा 11 केवी फीडर लाइनों के निर्माण कार्यों को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उ०प्र०रा०नि०लि०) की विद्युत इकाई, वाराणसी को ₹ 25.46 करोड़ की लागत पर प्रदान किया था। इन कार्यों में ₹ 1.65 करोड़ की राशि का मूल्य संवर्धित कर (वैट) सम्मिलित था।

प्रदत्त कार्यों की दरों की गणना उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं माध्यमिक प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो), की दरों के अनुसार की गयी थी। रेस्पो दरों का निर्धारण उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपकरणों एवं सामग्री के सम्बन्ध में निर्दिष्ट स्टॉक इश्यू रेट के आधार पर किया जाता है तथा इसमें वैट सम्मिलित होता है।

⁶ अगस्त 2011, दिसम्बर 2011, फरवरी 2012, अप्रैल 2012, जून 2012 से सितम्बर 2012

हमने देखा कि प्रदत्त दरों में वैट तत्व सम्मिलित होने के बावजूद, कम्पनी ने उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 को तीन वस्तुओं यथा एसीएसआर डांग कंडक्टर, एसीएसआर वीज़ल कंडक्टर तथा 5 एमवीए परिवर्तकों में 12.5 प्रतिशत की दर से वैट की अतिरिक्त राशि के साथ कार्य आदेश प्रदान एवं भुगतान किया। इस प्रकार वैट के अतिरिक्त प्रदान एवं भुगतान से उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 को ₹ 55 लाख का अनुचित लाभ परिगत हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा की आक्षेप को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) तथा कहा कि वसूली के लिए कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2014 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

indkpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM] e/; kpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM] if'pekpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM , oa nf{k.kkpy fo|r forj.k fuxe fyfeVM

3-10 'keu 'kq'd dk tek u fd;k tkuk

forj.k dEi fu; ka mi HkkDrkvka l s l xfgR 'keu 'kq'd dks l jdkjh jkt dks'k ea tek djus ea foQy jgha

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के अध्याय 2 के नियम 7 के अनुसार सारा धन जो कि सरकारी बकाये अथवा जमा के रूप में, प्रेषण अथवा अन्य प्रकार से सरकार अथवा उनके निमित्त प्राप्त होता है, बिना विलम्ब के सरकारी खाते में जमा किया जायेगा।

वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) यथा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्विविनिलि), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मविविनिलि), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पविविनिलि), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (दविविनिलि) तथा कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को) द्वारा राज्य सरकार के निमित्त विद्युत चोरी के अपराध के लिए संदिग्ध उपभोक्ताओं या व्यक्तियों से रेड प्रकरणों में निर्धारण के विरुद्ध आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही संस्थित नहीं करने के लिये ₹ 151.24 करोड़⁷ (मार्च 2013) की शमन शुल्क की धनराशि संग्रहीत की गई परन्तु उसे सरकारी राजकोष में जमा नहीं कराया गया (मार्च 2014)।

प्रत्युत्तर में केस्कों ने सुधारात्मक कार्यवाही की तथा सम्पूर्ण शमन शुल्क को राज्य सरकार को जमा करने की सूचना दी (नवम्बर 2014)। परन्तु अन्य डिस्कॉम्स ने अभी तक सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार ₹ 144.60 करोड़ की धनराशि सरकारी राजकोष में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक लाभ हेतु प्रयुक्त होने के लिये जमा नहीं हो पायी। इसके अतिरिक्त, इस पर 2013-14 के लिए ₹ 26.03 करोड़⁸ का दाण्डिक ब्याज भी अपेक्षित हो गया।

प्रकरण शासन को अक्टूबर 2014 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

⁷ पूर्विविनिलि = ₹ 13.84 करोड़, मविविनिलि = ₹ 25.42 करोड़, पविविनिलि = ₹ 76.47 करोड़, दविविनिलि = ₹ 28.87 करोड़ एवं केस्को = ₹ 6.64 करोड़।

⁸ दाण्डिक ब्याज की गणना 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत (इयूटी) नियम, 1952 के नियम 3(3) के अनुसार की जाती है, के आधार पर की गयी है।

mRrj i n: 'k jkT; fo r mRi knu fuxe fyfeVM

3-11 वकल/केस लोहि ल (फो/कक दक मि; क्ख दजुस एा फोय/फर दक; बकघ

dEi uh us pkyw [kk rka ea vkn/ks Lohi l (fo/kk dk i z; kx dju s ea foy/ f d; k rFkk ₹ 52 yk [k ds C; kt dh gkfu mBkbz

बैंक अपने ग्राहकों के अनुरोध पर चालू खातों में जमा आधिक्य कोष को सावधि जमा में स्वतः निवेश करने के लिये ऑटो स्वीप की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके द्वारा निकटवर्ती व्ययों के भुगतान के लिये सावधि जमा का स्वतः नकदीकरण करके कोष भी उपलब्ध कराया जाता है। चालू खातों से सावधि जमा में हस्तांतरित धनराशि पर न्यूनतम 7 से 14 दिनों की समयावधि पर न्यूनतम चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। चालू खाते से सावधि जमा में हस्तांतरण की निर्धारित सीमा ₹ एक लाख है।

यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०) की हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन विस्तार (एचटीपीएस) भारतीय स्टेट बैंक में दो तथा पंजाब नेशनल बैंक में एक चालू खातों का संचालन करता है जिसमें जनवरी 2011 से फरवरी 2014 की समयावधि में ₹ 0.47 लाख से ₹ 25.64 करोड़ का न्यूनतम शेष था। बैंकों द्वारा चालू खातों पर ब्याज नहीं प्रदान किया जाता परन्तु एचटीपीएस द्वारा तीनों खातों पर ऑटो स्वीप सुविधा का विकल्प नहीं लिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण को नवम्बर 2010 में इंगित किया गया था परन्तु एचटीपीएस ने इस पर कार्यवाही करने में 25 से 28 माह का विलम्ब किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात भी चालू खातों में ऑटो स्वीप सुविधा प्राप्त करने में की गयी विलंबित कार्यवाही के कारण, एचटीपीएस को जनवरी 2011 से फरवरी 2014 की समयावधि में ₹ 52 लाख की ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी के आधार पर बैंकों को पत्र निर्गत किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बैंक के साथ उचित अनुसरण नहीं किया गया जिससे चालू खातों को ऑटो स्वीप सुविधा खातों में परिवर्तित करने में विलम्ब हुआ।

प्रकरण शासन को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

mRrj i n: 'k i kbj Vku l fe' ku dki kq' s ku fyfeVM

3-12 chek i kNy l h yus ea yki j okgh ds dkj . k gkfu

dEi uh dks i hthl hvkbz, y }kjk chek vkoj . k yus ea vuq j . k dh foQyrk rFkk nkf . Md mi c'k u j [kus ds dkj . k ₹ 1-42 djkm+ dh gkfu gq h

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) तथा पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने 400 केवी डीसी विष्णुप्रयाग-मुजफ्फरनगर (वीएसपी-एमओजेड) पारिषण लाइन के अनुरक्षण एवं परिचालन के लिए 26 अप्रैल 2007 से 25 अप्रैल 2008 तक की समयावधि के लिए 11 जुलाई 2007 को अनुबन्ध निष्पादित किया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, पारिषण लाइन के बीमा की व्यवस्था पीजीसीआईएल को यूपीपीटीसीएल के खर्च पर करानी थी, परन्तु पीजीसीआईएल द्वारा बीमा आवरण लेने में लापरवाही की दशा हेतु, अनुबन्ध में कोई दाण्डिक उपबंध नहीं था।

हमने देखा कि यूपीपीटीसीएल का 400 केवी सब स्टेशन खण्ड, मुजफ्फरनगर पीजीसीआईएल को बीमा कराने के लिए अनुसरण करने में विफल रहा। पीजीसीआईएल ने बीमा आवरण लेने में विलम्ब किया और दिसम्बर 2007 में मानक

अग्नि एवं जोखिम पॉलिसी करायी जो कि दिसम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 की समयावधि को आच्छादित करती थी। इसी बीच अक्टूबर-नवम्बर 2007 के माह में भूस्खलन के कारण अलकनंदा नदी के दाहिनी ओर 400 केवी वीएसपी-एमओजेड लाइन के तीन टावर क्षतिग्रस्त हो गये। चूंकि इस अवधि के लिये कोई बीमा आवरण उपलब्ध नहीं था अतः कोई बीमा दावा नहीं लिया जा सका तथा कम्पनी को क्षति के लिए ₹ 1.42⁹ करोड़ की हानि सहनी पड़ी।

खण्ड प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2014) कि बीमा पीजीसीआईएल को कराना था जिनके द्वारा विलम्ब हुआ तथा प्रकरण उनके साथ समाधान में था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी पीजीसीआईएल को बीमा आवरण लेने के लिए अनुसरण करने में विफल रही तथा आगे उसने पीजीसीआईएल द्वारा ऐसी लापरवाही की दशा में, अनुबन्ध में कोई दाण्डिक प्रावधान नहीं रखा जिससे ₹ 1.42 करोड़ की हानि हुई। चूंकि छः साल से अधिक का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है, अतः पीजीसीआईएल से वसूली की सम्भावना नगण्य है।

प्रकरण शासन को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2015)।

I kfof/kd fuxe

mUkj i ns'k jkT; I Məd ifjogu fuxe

3-13 yk Vđ ku vf/kHkkj dk ifjgk; I Hkkrku

yk Vđ ku ¼, yVh½ I s gkbZ Vđ ku ¼, pVh½ ykbu es I eifjorZ ugha djus ds dkj .k {ks=h; dk; I kkyk} cjsyh us ₹ 21-80 yk[k dk ifjgk; I 0; ; fd; k

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) एलटी तथा एचटी लाइन के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिल करने हेतु अनुबन्धित भार तथा आपूर्ति वोल्टेज के आधार पर टैरिफ अनुसूची निर्गत करता है।

2004-05 के टैरिफ आदेश के अनुसार, सभी एलटी लाइन के उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित भार 56 केवीए से अधिक तथा आपूर्ति 0.4 केवी पर हो (11 केवी लाइन के माध्यम से आपूर्ति-एचटी श्रेणी) को विकल्प प्रदान किया गया कि या तो वे 15 प्रतिशत एलटी अधिभार का भुगतान कर एचवी-2 श्रेणी में बिल होते रहे अथवा एलटी लाइन से एचटी लाइन के परिवर्तन के व्यय को वहन करके एचवी-2 श्रेणी में समपरिवर्तन करा लें। 2006-07 के टैरिफ आदेशानुसार, उक्त सभी एलटी उपभोक्ता जिन्होंने एचटी लाइन में समपरिवर्तन न किया हो, की बिलिंग अनिवार्य रूप से एचवी-2 श्रेणी में एलटी अधिभार के भुगतान पर की जानी थी।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, बरेली (कार्यशाला) जिसका एलटी संयोजन 130 केवीए अनुबन्धित भार का 0.4 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर था, को अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, बरेली (ई.यू.डी.डी) द्वारा एलटी लाइन को एचटी लाइन में परिवर्तन कराने हेतु निर्देश (अगस्त 2009) दिया गया था। ई.यू.डी.डी ने कार्यशाला को सूचित (नवम्बर 2009) किया कि परिवर्तन की अनुमानित लागत ₹ 5.68 लाख है।

लेखा परीक्षा ने पाया की प्रबंध निदेशक द्वारा ₹ 5.68 लाख लाइन परिवर्तन की लागत के रूप में स्वीकृत (जनवरी 2010) किये जाने के बाद भी, कार्यशाला ने, परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु राशि ई.यू.डी.डी के पास जमा कराने की जगह एलटी सरचार्ज का भुगतान करते हुए एचवी-2 श्रेणी में बिल होना जारी रखा। अप्रैल 2006 से

⁹ क्षतिपूर्ति/दावा जो कि बीमा कम्पनी से लिया जा सकता था = ₹ 331.94 करोड़ x 3 टावर/701 टावर = ₹ 1.42 करोड़

प्रबंधन ने (अक्टूबर 2014) कहा कि लाईन परिवर्तन की कार्यवाही में विलम्ब अप्रैल 2006 से अगस्त 2009 तक लागू टैरिफ प्रावधानों की अज्ञानता के कारण हुआ। पुनश्च, संशोधित टैरिफ अनुसूची के अनुसार अब 50 केवीए से ऊपर एलटी तथा एचटी लाईन की बिलिंग लागत में कोई अंतर नहीं है। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूचित हानि उस अवधि से संबंधित है जब एलटी तथा एचटी लाईन की बिलिंग की लागत में अंतर था तथा अधिक भार के उपयोग पर अतिरिक्त भुगतान अब तक जारी है। इस प्रकार प्रबंधन के स्तर पर एलटी लाईन को एचटी लाईन में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की निष्क्रियता के कारण ₹ 21.80¹¹ लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण को शासन को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अभी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2014)।

मूल्य निर्धारण

3-14 बिंदुओं के लिए

तक 2005 के नियम 160(x) एवं नियम 160(xi) के अनुसार, बोलीदाताओं को अपनी बोली बदलने या संशोधित करने की अनुमति बोली प्राप्ति की तय समय-सीमा के उपरान्त नहीं दी जानी चाहिए तथा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन पहले से बोली दस्तावेजों में निगमित नियमों के तहत करना चाहिए।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, गाजियाबाद ने नोएडा एवं ट्रांस हिंडन एरिया, गाजियाबाद में ऊपरी गंगा नहर से 100 क्यूसेक जल आपूर्ति योजना हेतु टर्न-की आधार पर कार्य¹² कराने के लिए निविदा (25 सितम्बर 2008) आमंत्रित की। निविदा शर्तों के अनुसार स्थानीय करों का पर्याप्त प्रावधान बोलीदाताओं से अपेक्षित था तथा जब तक कि अन्यथा प्रावधानित न हो माना जायेगा की मूल्य अनुसूची की दरें तथा कीमतें सभी अनुबंधित दायित्वों को शामिल करती हैं।

निविदा सूचना के सापेक्ष चार बोलीदाताओं ने बोली जमा की। बोली खोलने की तिथि (17 जुलाई 2009) पर बोलियों की तुलना करने पर पाया गया कि तीन बोलीदाताओं ने अपने उद्धृत बोली की दरों के ऊपर कुछ अतिरिक्त करों की प्रतिपूर्ति का उल्लेख किया था, जबकि चौथे बोलीदाता (ठेकेदार) ने उद्धृत बोली दर के ऊपर अलग से प्रतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार के कर का उल्लेख नहीं किया था। ठेकेदार की बोली ₹ 57 करोड़ के मूल्य के साथ, सबसे कम पायी गयी।

हमने देखा कि ठेकेदार को कार्य प्रदान (12 अगस्त 2009) करते समय, 4.12 प्रतिशत की दर से सेवा कर तथा एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर की वास्तविक आधार पर देय प्रतिपूर्ति को शामिल करते हुए, ₹ 57 करोड़ के बोली मूल्य को अनियमित रूप से बढ़ाकर ₹ 59.92 करोड़ कर दिया गया। बोली मूल्य में इस वृद्धि को बोली खोलने की

हमने देखा कि ठेकेदार को कार्य प्रदान (12 अगस्त 2009) करते समय, 4.12 प्रतिशत की दर से सेवा कर तथा एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर की वास्तविक आधार पर देय प्रतिपूर्ति को शामिल करते हुए, ₹ 57 करोड़ के बोली मूल्य को अनियमित रूप से बढ़ाकर ₹ 59.92 करोड़ कर दिया गया। बोली मूल्य में इस वृद्धि को बोली खोलने की

¹⁰ 1 अक्टूबर 2012 से एचवी-2 श्रेणी में बिलिंग पर कोई एलटी अधिभार देय नहीं था।

¹¹ ₹ 23.98 लाख जोड़ा ₹ 3.50 लाख घटाया ₹ 5.68 लाख

¹² प्रताप विहार, गाजियाबाद में प्राइमरी सेटलिंग बेसिन का सर्वे, डिजाईन, आपूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, स्थापना एवं ट्रायल रन व अन्य संबंधित कार्य।

तिथि (17 जुलाई 2009) पर निविदा को अन्तिम रूप देने के बाद प्राप्त ठेकेदार के पत्र को दृष्टिगत करते हुये दिया गया था। जमा बोली में परिवर्तन का अनुरोध बोलीदाता का उत्तरवर्ती विचार था और बोली में परिवर्तन का संज्ञान उसके खुलने के बाद करना यह संकेत देता है कि जीएफआर के उल्लंघन के अतिरिक्त ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।

अतः, ₹ 2.92 करोड़ के सेवा कर एवं प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति प्रदान करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया यद्यपि करों की प्रतिपूर्ति का उल्लेख न तो बोली दस्तावेजों में और न ही तुलनात्मक विवरण में किया गया था।

प्रबन्धन तथा सरकार ने (दिसम्बर 2014) स्वीकार किया कि बोलीदाता ने सेवा कर तथा प्रवेश कर की राशि अलग से निविदा खुलने की तिथि पर सूचित की, जिसका संज्ञान लिया गया तथा अनुबन्ध के मूल्य में जोड़ दिया गया।

इस प्रकार, तथ्य रहता है कि बोली में उसके खुलने तथा अन्तिमीकरण के पश्चात् परिवर्तन का संज्ञान लेना ठेकेदार को अनुचित लाभ है।

3-15 ifjor dka ds 0; ij vf/kd 0; ;

fuxe us ifjor dka ds 0; ij vf/kd 0; ; fd;k ifj.kkeLo: i B d n k j d k s
₹ 62 yk[k dk vufpr ykHk feyk

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने 132/33 केवी उपकेन्द्र कुन्देरकी, मुरादाबाद के निर्माण का कार्य, उत्तर प्रदेश जल निगम (निगम) की निर्माण एवं डिजाइन विंग को ₹ 12.06 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर प्रदान किया (सितम्बर 2010)।

निगम ने उपरोक्त कार्य के लिए ₹ 12.79 करोड़ का विस्तृत प्राक्कलन बनाया तथा टर्न की आधार पर ठेकेदार को कार्य ₹ 12.03 करोड़ की लागत पर प्रदान (फरवरी 2011) किया। कार्य के निष्पादन के लिए निगम तथा ठेकेदार के मध्य एक अनुबंध (अप्रैल 2011) किया गया। अनुबंध में दो 20 एमवीए के 132/33 परिवर्तकों की आपूर्ति सम्मिलित थी जिसके लिए कीमत अनुसूची युक्त विस्तृत आदेश ठेकेदार को प्रदान किया गया था। हमें मूल्य निर्धारण हेतु, दरों का विश्लेषण या कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं मिला।

हमने देखा कि ठेकेदार द्वारा दो 20 एमवीए परिवर्तक निगम को ₹ 2.75 करोड़ में आपूर्ति किए गए थे। परन्तु निर्माता, जिसने ठेकेदार को परिवर्तक आपूर्ति किए थे, के प्रोफार्मा बीजक से ज्ञात हुआ कि परिवर्तकों की मूल लागत ₹ 1.94 करोड़ मात्र थी। इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा वहन की गई लागत की तुलना में निगम द्वारा ठेकेदार को दो परिवर्तकों के लिए देय मूल्य ₹ 81 लाख (42 प्रतिशत) से अधिक था। दर विश्लेषण के अभाव में निगम ठेकेदार को उच्च दर पर परिवर्तक दिए जाने की जांच कारने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62 लाख¹³ (ठेकेदार को 10 प्रतिशत लाभ की अनुमति देने के बाद) का अधिक व्यय हुआ।

प्रबंधन तथा शासन ने बताया (जनवरी 2015) कि ठेकेदार के साथ अनुबंध टर्न-की आधार पर किया गया था तथा कार्य की प्राक्कलित लागत यूपीपीटीसीएल द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन से कम थी। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक मद हेतु कीमत अनुसूची युक्त विस्तृत आदेश ठेकेदार को दिया गया था तथा दरों के विश्लेषण के अभाव में ठेकेदार को दी गयी परिवर्तकों की दरें उनकी क्रय लागत से 42 प्रतिशत अधिक रहीं। इस प्रकार ठेकेदार को ₹ 62 लाख का अनुचित लाभ दिया गया।

¹³ ₹ 2.75 करोड़ (निगम द्वारा किया गया भुगतान)-₹ 1.94 करोड़ (ठेकेदार की लागत)-₹ 0.19 करोड़ (10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ)

1 केरु;

3.16 यशक इज (केस इफ्रोन) इज वुक्केर दक; बकग

3.16.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गयी संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से उपयुक्त एवं समय से उत्तर प्राप्त हों।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः फरवरी 2010, अगस्त 2011, मई 2012, सितम्बर 2013 एवं जून 2014 में रखे गये थे। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मिलित 22 विभागों के अन्तर्गत पीएसयू से सम्बन्धित 95 प्रस्तारों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 81 प्रस्तारों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर शासन से 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त नहीं हुए जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

1 कज.क. 1 ए; क 3-1

यशक इज (केस इफ्रोन) दक ओकर	यशक इज (केस इफ्रोन) एड इज (केस इफ्रोन) यशक इज (केस इफ्रोन)	1 एफ/केर फोक्केर दक 1 ए; क	1 एर/फु"कनु यशक इज (केस इफ्रोन) दक 1 ए; क फुड्स मर्रज इज उगा गस
2008-09	27	22	21
2009-10	16	7	11
2010-11	16 ¹⁴	7	13
2011-12	16	5	16
2012-13	20	6	20
कुल	95		81

विभागवार विश्लेषण 1 एफ'क'V&3-10 में दिया गया है। ऊर्जा विभाग उत्तर न भेजने हेतु वृहत्त रूप से उत्तरदायी था।

1 कोठर फुड (केस दिसा) ओकरा दिसा; सल कोठर फुड (केस दिसा) इज यशक इज (केस इफ्रोन) इज वुक्केर दक वुक्केर

3.16.2 वर्ष 1999-2000 से 2010-11 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) तथा वर्ष 2011-12 से 2012-13 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में, 379 प्रस्तार तथा 52 निष्पादन लेखा परीक्षाएँ सम्मिलित की गयी थीं। इनमें से, 31 दिसम्बर 2014 तक, 161 प्रस्तारों एवं 22 निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 1978-79 से 2006-07 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के 113 प्रस्तारों एवं 20 निष्पादन लेखा परीक्षाओं के संबंध में कोपू ने संस्तुतियाँ की थीं।

कोपू की कार्य-प्रणाली नियमावली¹⁵ के अनुसार, सम्बन्धित विभागों को कोपू की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन आख्या (एटीएन) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, विभागों द्वारा एटीएन हमें कोपू द्वारा एटीएन पर चर्चा के समय ही उपलब्ध कराये जाते हैं।

यशक इज (केस इफ्रोन) मर्रज इज (केस इफ्रोन) यशक इज (केस इफ्रोन) इज (केस इफ्रोन) इज (केस इफ्रोन)


3.16.3 लेखा परीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों से, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, चार सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। 41 सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित मार्च 2014 तक निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि 3801 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 15809 प्रस्तार सितम्बर 2014 के अंत तक अनिस्तारित रहे। 30 सितम्बर 2013 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विवरण 1 एफ'क'V&3-11 में दिया गया है।

¹⁴ उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की चीनी मिलों के विक्रय पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

¹⁵ शासकीय अधिसूचना संख्या-836/वीएस/संसदीय/85 (सी)/2005 दिनांक 28 मार्च 2005।

इसी प्रकार, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर ड्राफ्ट प्रस्तर एवं निष्पादन लेखा परीक्षाएँ प्रमुख सचिव, वित्त और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अंदर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित, प्रेषित की जाती हैं। मई एवं अक्टूबर 2014 के मध्य विभिन्न विभागों को अग्रसारित 15 ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं दो निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में से केवल पाँच ड्राफ्ट प्रस्तरों का उत्तर शासन से प्राप्त हुआ है तथा शेष ड्राफ्ट प्रस्तरों एवं निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014), जिसका विवरण i f j f ' k " V & 3 - 1 2 में दिया गया है।

हम संस्तुत करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे, जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/निष्पादन लेखा परीक्षाओं के उत्तर तथा कोपू की संस्तुति पर कार्यान्वयन आख्या निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे, (ब) समयबद्ध कार्य योजना के अन्तर्गत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान को वसूल करने की कार्यवाही और (स) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर दिया गया है।



(विनीता मिश्रा)

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक

30 मार्च 2015

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

31 मार्च 2015